



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 27 जून, 2017 / 6 आषाढ़, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 जून, 2017

संख्या: आई.पी.एच.-ए.-ए. (3)-2/2016.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग सहायक रसायनज्ञ, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, सहायक रसायनज्ञ, वर्ग-III, (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां**-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: आई.पी.एच.-ए.-ए. (3)-30/96 तारीख 31-01-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, वर्कचार्जड ऐसिस्टेंट कैमिस्ट (सहायक रसायनज्ञ), वर्ग-III, (अराजपत्रित) पद भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1996 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध “क”

हिमाचल प्रदेश, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, सहायक रसायनज्ञ, वर्ग-III, (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. **पद का नाम**.-सहायक रसायनज्ञ

2. **पद (पदों) की संख्या**.-46 (छियालीस)

3. **वर्गीकरण**.-वर्ग-III, (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय

4. **वेतनमान**.- (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान: पे बैंड ₹ 5910-20200+2800/- ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त (कर्मचारी) कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 8,710/- प्रतिमास।

5. **“चयन” पद अथवा “अचयन” पद**.-लागू नहीं

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु**.-18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अंतिम रूप में आमेसित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ.—(क) अनिवार्य अर्हता(एँ) :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी और रसायन विज्ञान के विषय सहित विज्ञान स्नातक (बी०एस०सी०) की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए ।

(ख) **वॉछनीय अर्हता (एँ).**—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता—लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर, नियुक्त पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेसन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा : और

(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—प्रयोगशाला सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु सहायक रसायनज्ञ के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दो बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला	प्रोन्नति के लिए
दूसरा	सीधी भर्ती के लिए

टिप्पण.—जब भी दी गई प्रतिशतता के अनुसार समस्त प्रवर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, तो रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त होता है।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्वधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि सिवाय दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन क्षेत्रों/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—I.—उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय कठिन/दुर्गम/दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में “कार्यकाल” से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण—II.—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :—

- 1 जिला लाहौल एवं स्पिति।
- 2 चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
- 3 रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
- 4 जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- 5 कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
- 6 कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7 जिला किन्नौर।
- 8 सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
- 9 मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर

तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण—III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(2) प्रोन्नति के सभी मामलों के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उनसे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ श्रवैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—(क) विभागीय प्रोन्नति समिति:—“जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।”

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति:—“जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।”

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसी विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर या यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधधीन की जाएंगी।

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में सहायक रसायनज्ञ को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना:

प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक रसायनज्ञ को ₹ 8710/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 261/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी

प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा और यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/ लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 8710/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 261/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे, वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा

आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (ड) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

(सहायक रसायनज्ञ) और हिमाचल प्रदेश सरकार के, प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (सहायक रसायनज्ञ) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार (सहायक रसायनज्ञ) के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. सहायक रसायनज्ञ की संविदात्मक रकम ₹ 8710/— प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण—पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदाधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. IPH-A-A(3)-2/2016, dated 19.6.2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th June, 2017

No. IPH-A -A(3)-2/2016.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Chemist, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Irrigation and Public Health Department, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to the notification, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Irrigation and Public Health Department, Assistant Chemist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Repeal and saving.— (1) The Himachal Pradesh, Department of Irrigation & Public Health work charged Assistant Chemists, (Class-III, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996, notified vide this Department Notification No. IPH-A-A(3)-30/96, dated 31-01-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (IPH).

Annexure-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT CHEMIST CLASS-III, (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF IRRIGATION & PUBLIC HEALTH, HIMACHAL PRADESH.

- 1. Name of post.**—Assistant Chemist
- 2. Number of post(s).**—46(Forty Six)
- 3. Classification.**—Class-III (Non Gazetted) (Non-Ministerial)

- 4. Scale of pay—**(i) Pay Scale for regular incumbents:
Pay Band Rs. 5910-20200+2800 Grade pay
(ii) Emoluments for contract employee(s): Rs. 8,710/- as per detail given in Col. No.-15-A.

5. Whether “Selection” post or Non- “Selection”— Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on-contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become overage on the date he was appointed as-such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relax able for Scheduled Castes / Schedule Tribes / Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all Public Service Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies, who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting application or notified to the Employment exchanges, or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s).—(a) *Essential Qualification(s).*—Should have passed B.Sc. with Physics and Chemistry from a recognized University.

(b) *Desirable Qualification(s)*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age*—Not Applicable

Educational Qualification—Not Applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two year(s) subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods—(i) 50% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be; and

(ii) 50% by promotion, failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Laboratory Assistants with 8(eight) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade:

Provided that for filling up the posts of Assistant Chemist the following 02 points post based roster shall be followed.—

Roster Point No.	Category
1st	Promotee
2nd	Direct Recruit

Note.—As and when the representation by both the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from category which vacates the post.

(I) Provided that for the purpose of promotion every employees shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/ rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in case of promotion:

Provided further that officers/officials who have not served at least one tenure in Tribal / Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso (I) supra the “term” in Tribal/Difficult/Hard areas/ remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkail and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of Distict Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhargal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanai of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kallpar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III.—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:—

- (i) All station beyond the radius of 20 Kms from Sub Division/Tehsil headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms from State Headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (Three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of employee regardless of its categories.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

- (i) Provided that in all case where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible happened to be Ex-serviceman recruited under the provision of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personal(Reservation) of vacancies in Himachal Pradesh State Non-Technical Service Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-serviceman(Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

- (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition—(a) *Departmental Promotion Committee*—“As may be constituted by the Government from time to time.”

- (b) *Departmental Confirmation Committee*— “As may be constituted by the Government from time to time.”

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of Direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test(objective test)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Assistant Chemist in the Irrigation & Public Health Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. STAFF SELECTION COMMISSION HAMIRPUR:

The Engineer-in-Chief after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency, i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Assistant Chemist appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8710/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of Rs. 261/- (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Engineer-in-Chief will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test(objective type/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. Staff Selection Commission Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.8710/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs.261/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/ selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 day's medical leave & 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar Year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from the Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve(12) weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16 . Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes /Scheduled Tribes /other Backward Classes / Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Powers to relax—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Chemist and the Engineer-in-Chief.

This agreement is made on this day of in the year
Between Sh./Smt. S/o/D/o Shri.....
R/o.....

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through the Engineer-in-Chief (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Chemist on contract basis on the following terms & conditions.—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Chemist for a period of 1 year commencing on day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the..... FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on and information notice shall not be necessary:

Provided that for-further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the ASSISTANT CHEMIST will be Rs 8710/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave & 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re imbursement and LTC etc. No Leave of other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

I

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.....

.....

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1.....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.....

.....

(Name and Full Address)

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION***Shimla- 4, the 23rd June, 2017*

No VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Sh. Sunder Lal Negi, Under Secretary as Deputy Secretary in the pay scale of Rs. 15600-39100+7600GP+2500 Sectt. Pay on regular basis with immediate effect.

He will be entitled to exercise option for pay fixation under the saving clause as per clarification contained in letter number Fin (PR)B(7)-1/2009 dated 19.09.2009 within a period of one month from the date of joining.

Sd/-
Secretary,
H. P. Vidhan Sabha.

सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग—ख

अधिसूचना

शिमला—2, 21 जून, 2017

संख्या: जीएडी—बी (ए)1—2/2013—II (शिमला).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तहसील सुन्नी से डुमैहर पटवार वृत्त को अपवर्जित कर उप—तहसील जलोग, में शामिल करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की तहसील सुन्नी से डुमैहर पटवार वृत्त को अपवर्जित कर उप—तहसील जलोग में तुरन्त प्रभाव से सम्मिलित करने का आदेश देते हैं इस पुनर्गठन के पश्चात् जिला शिमला की तहसील सुन्नी तथा उप—तहसील जलोग की सरचना निम्न सारणी में यथादर्शित होगी:—

सारणी

तहसील का नाम	उप—मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त
1	2	3	4	5
सुन्नी	शिमला (ग्रामीण)	शिमला	सुन्नी	1. देवला 2. देवठी 3. खटनोल 4. बैरटी 5. बसन्तपुर

				6. चेबड़ी 7. शकरोड़ी 8. सुन्नी 9. जुणी 10. रेवग 11. घैणी
उप-तहसील का नाम	उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त
1	2	3	4	5
जलोग	शिमला (ग्रामीण)	शिमला	जलोग	1. धरोगड़ा 2. सैन्ज 3. बनूना 4. ओगली 5. करयाली 6. डुमैहर

आदेश द्वारा,
वी० सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English Text of the this Department Notification No. GAD-B(A)1-2/2013-II (Shimla) Dated 21-06-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B.

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st June, 2017

GAD-B(A)1-2/2013-II (Shimla).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it has become necessary to exclude Patwar Circle Domehar from Tehsil Sunni and to include in Sub-Tehsil Jalog , District Shimla, Himachal Pradesh;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that the Patwar Circle Domehar be excluded from the Tehsil Sunni and be included in Sub-Tehsil Jalog of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect. After this reorganization, composition of Tehsil Sunni and Sub-Tehsil Jalog, District Shimla will be as shown in the Table below:—

Table

Name of Tehsil	Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included
1	2	3	4	5
Sunni	Shimla (Rural)	Shimla	Sunni	1. Deola 2. Deothi 3. Khatnol 4. Berti 5. Basantpur 6. Chebri 7. Shakrori 8. Sunni 9. Juni 10. Reog 11. Ghaini
Name of Sub-Tehsil	Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included
1	2	3	4	5
Jalog	Shimla (Rural)	Shimla	Jalog	1. Dharogra 2. Sainj 3. Banuna 4. Ogli 5. Karyali 6. Domehar

By order,
V. C. PHARKA.
Chief Secretary.

**सामान्य प्रशासन विभाग
अनुभाग-ख**

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जून, 2017

संख्या: जीएडी-बी (ए)1-2/2013-III (शिमला).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की उप-तहसील कोटगढ़ से दो पटवार वृत्तों, नामतः नारकण्डा व जदूण को अपवर्जित कर तहसील कुमारसैन, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश में शामिल करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की उप-तहसील कोटगढ़ से दो पटवार वृत्तों, नामतः नारकण्डा व जदूण को अपवर्जित कर इन्हें तहसील कुमारसैन जिला शिमला हिमाचल

प्रदेश में तुरन्त प्रभाव से सम्मिलित करने का आदेश देते हैं। इस पुनर्गठन के पश्चात् जिला शिमला की उप-तहसील कोटगढ़ तथा तहसील कुमारसैन की सरं चना निम्न सारणी में यथादर्शित होगी :-

सारणी

उप-तहसील का नाम	उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त
1	2	3	4	5
कोटगढ़	कुमारसैन	शिमला	कोटगढ़	1. मधावनी 2. जरोल 3. कोटगढ़ 4. किरटी 5. शमाथला 6. भुटटी
तहसील का नाम	उप-मण्डल का नाम	जिला	मुख्यालय	सम्मिलित पटवार वृत्त
1	2	3	4	5
कुमारसैन	कुमारसैन	शिमला	कुमारसैन	1. कोटीघाट 2. कांगल 3. बनाहर 4. शिवान 5. बड़ागांव 6. मलैन्डी 7. धाला 8. जार 9. कुमारसैन 10. कचेड़ी 11. कोटला 12. नारकण्डा 13. जदूण

आदेश द्वारा,
वी० सी० फारका,
मुख्य सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD-B(A)1-2/2013-III (Shimla)
Dated 21-06-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Section-B

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st June, 2017

GAD-B(A)1-2/2013-III (Shimla).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it has become necessary to exclude two Patwar Circles Narkanda and Jadun from Sub-Tehsil Kotgarh and to include in Tehsil Kumarsain, District Shimla, Himachal Pradesh;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order that the Patwar Circles, Narkanda and Jadun be excluded from the Sub-Tehsil Kotgarh and be included in Tehsil Kumarsain of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect. After this reorganization, composition of Sub-Tehsil Kotgarh and Tehsil Kumarsain, District Shimla will be as shown in the Table below:—

Table

Name of Sub-Tehsil	Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included
1	2	3	4	5
Kotgarh	Kumarsain	Shimla	Kotgarh	1. Madhawani 2. Jarol 3. Kotgarh 4. Kirti 5. Shamathala 6. Bhutti
Name of Tehsil	Name of Sub Division	District	Head-quarter	Patwar Circles Included
1	2	3	4	5
Kumarsain	Kumarsain	Shimla	Kumarsain	1. Kotighat 2. Kangal 3. Banahar 4. Shivan 5. Baragaon 6. Malendi 7. Dhala 8. Jar 9. Kumarsain

				10. Kacheri 11. Kotla 12. Narkanda 13. Jadun
--	--	--	--	---

By order,
V. C. PHARKA
Chief Secretary.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जून, 2017

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-35/2005-लेज.—श्री उत्तम चन्द चौहान, अधिवक्ता, मण्डी ने उप-मण्डल करसोग, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री उत्तम चन्द चौहान, अधिवक्ता को उप-मण्डल करसोग, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
डॉ० बलदेव सिंह,
प्रधान सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE (9)35/2005-Leg. Dated 23 -06-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2017

No. LLR-E(9)-35/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Uttam Chand Chauhan, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of SubDivision Karsog of District Mandi;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Uttam Chand Chauhan, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Karsog of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
Dr. BALDEV SINGH,
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जून, 2017

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-16/2007-लेज.—श्री अमरजीत सिंह पसरीचा, अधिवक्ता, मण्डी ने उप-मण्डल गोहर, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षात्कार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अमरजीत सिंह पसरीचा, अधिवक्ता को उप-मण्डल गोहर,, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए ।

आदेश द्वारा,
डॉ० बलदेव सिंह,
प्रधान सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE (9)16/2007-Leg. Dated 23-06-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2017

No. LLR-E(9)-16/2007-Leg.—WHEREAS, Shri Amarjeet Singh Pasreecha, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Gohar of District Mandi;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Amarjeet Singh Pasreecha, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Gohar of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
Dr. BALDEV SINGH,
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जून, 2017

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-11/2015-लेज.—श्री खेम सिंह, अधिवक्ता, मण्डी ने उप-मण्डल जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री खेम सिंह, अधिवक्ता को उप-मण्डल जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
डॉ० बलदेव सिंह,
प्रधान सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE(9)11/2015-Leg. Dated 23-06-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2017

No. LLR-E(9)-11/2015-Leg.—WHEREAS, Shri Khem Singh, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of SubDivision Jogindernagar of District Mandi;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Khem Singh, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Jogindernagar of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
Dr. BALDEV SINGH
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जून, 2017

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-3/2013-लेज.—श्री पवन कुमार, अधिवक्ता, मण्डी ने उप-मण्डल सुन्दरनगर जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पवन कुमार, अधिवक्ता को उप-मण्डल सुन्दरनगर, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए ।

आदेश द्वारा,
डॉ० बलदेव सिंह,
प्रधान सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E (9)3/2013- Leg. Dated 23-06-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2017

No. LLR-E(9)-3/2013-Leg. —WHEREAS, Shri Pawan Kumar, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub- Division Sundernagar of District Mandi;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Pawan Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Sundernagar of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
Dr. BALDEV SINGH
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 जून, 2017

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-3/2013-लेज.—श्री हुस्न लाल, अधिवक्ता, मण्डी ने उप-मण्डल सुन्दरनगर जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हुस्न लाल, अधिवक्ता को उप-मण्डल सुन्दरनगर, जिला मण्डी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए ।

आदेश द्वारा,
डॉ० बलदेव सिंह,
प्रधान सचिव (विधि)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)3/2013-Leg. Dated 23 -06-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd June, 2017

No. LLR-E(9)-3/2013-Leg.—WHEREAS, Shri Husan Lal, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub- Division Sundernagar of District Mandi;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Husan Lal, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Sundernagar of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
DR. BALDEV SINGH
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 2017

संख्या: होम बी(बी)3-7/95-अग्नि.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में चालक एवं पम्प ओपरेटर, वर्ग—III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग, चालक एवं पम्प ओपरेटर, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—(1) अधिसूचना संख्या होम—बी—(बी) 3-7/95, तारीख 16.08.2005 द्वारा अधिसूचित और समय—समय पर यथा संशोधित गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाएं विभाग में चालक एवं पम्प ओपरेटर, वर्ग—III (अराजपत्रित) अलिपिकीय वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2005 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2.(1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (गृह)।

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में चालक एवं पम्प ओपरेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.—चालक एवं पम्प ओपरेटर
2. पद(पदों) की संख्या.—157 (एक सौ सत्तावन)
3. वर्गीकरण.— वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवायें
4. वेतनमान.—(i) नियमित (पदधारियों) के लिए वेतनमान.—₹5910-20200+2400/- रुपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा पर नियुक्त (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.—स्तंभ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 8,310/-रुपए प्रतिमास ।
5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद.—लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों)के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं.—(1) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से दसवी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

या

सेना का विशेष प्रमाण-पत्र रखता हो ।

(2) पहाड़ी क्षेत्रों में भारी और हलके वाहनों को चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति अवश्य रखता हो ।

(3) पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने का पांच वर्ष का अनुभव भी रखता हो ।

(4) शारीरिक मानदण्ड:

न्यूनतम लम्बाई (कद)—163 सेंटीमीटर

छाती— 80 सेंटीमीटर

फुलाकर — 85 सेंटीमीटर तक

भार— 52 किलोग्राम

दृष्टि— 6/6 बिना चश्मे के ।

(ख) **वांछनीय अर्हताएँ**—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.— आयु: लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं ।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. **भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर ।

11. **प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट स्थानान्तरण किया जाएगा**—हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में से इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमेंट आधार पर ।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना**—(क) विभागीय प्रोन्नति समिति: लागू नहीं है ।

(ख) **विभागीय स्थायीकरण समिति**: जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. **सीधे भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा**—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15.क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग में चालक एवं पम्प ओपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.—विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी रिक्त पद(पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद(पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और विहित अर्हता और इन नियमों में यथा विहित अन्य पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त चालक एवं पम्प ओपरेटर को 8,310/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 249/—रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.—निदेशक, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8,310/—रुपए प्रतिमाह की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की

जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 249/-रुपये (पद के पे-बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवद्ध प्रसूतिविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर और रिक्त पद के विरुद्ध स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-2 ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबंध—“ख”

चालक एवं पम्प ओपरेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य(नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा /करार का प्ररूप।

यह करार श्री/ श्रीमती-----पुत्र/पुत्री श्री----- निवासी----- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अग्निशमन सेवाएं विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख----- को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त ‘प्रथम पक्षकार’ को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक एवं पम्प ओपरेटर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक—एवं—पम्प ओपरेटर के रूप में -----से प्रारम्भ होने और ----- को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस, अर्थात् ----- दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण /नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8,310/— प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त चालक एवं पम्प ओपरेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी।

संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भवात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन

से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य(ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारिख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

(नाम और पूरा पता)

.....

 (नाम और पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:

.....

 (नाम और पूरा पता)

.....

 (नाम और पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this department's Notification No. Home-B(B)3-7/95-Fire dated 16-08-2005 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd June, 2017

No. Home-B(B)3-7/95-Fire.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver-cum-Pump Operator, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Fire Services, Himachal Pradesh, as per Annexure –“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Fire Services Department, Driver-cum-Pump operator Class-III, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Department of Home Guards, Civil Defence and Fire Services, Driver-cum-Pump Operator, Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2005 notified vide notification Home-B(B)3-7/95 dated 16-08-2005 as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under rule, 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order

Sd/-

Principal Secretary(Home).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH.

1. **Name of post.**—Driver-cum-Pump Operator.
2. **Number of post.**—157 (One Hundred Fifty Seven).
3. **Classification.**—Class-III (Non Gazetted), (Non Ministerial).
4. **Scale of pay.**—(i) *Pay Band for regular incumbents(s).*—Rs. 5910-20200+Rs. 2400/- Grade Pay.
(ii) *Emolument for Contract Employee(s).*— Rs. 8310/- as per details given in Column No.15-A.
5. **Whether selection post or non-selection post.**—Not applicable.
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Cooperations Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned from the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. **Minimum educational qualification and other qualifications required for direct recruit(s).**—(a) *ESSENTIAL QUALIFICATIONS.*—(i) Should have passed Matriculation Examination from a recognized Board/Institution.

OR

Should possess Army Special Certificate.

- (ii) Must possess valid driving license for the plying of heavy and light vehicles in the Hilly Terrains.
- (iii) Should also possess 5 years experience in hill driving.
- (iv) **Minimum Physical Standard.**—Height-163 cms.

Chest-80 cms with expansion upto 85 cms

Weight-52 kg.

Eyesight-6/6 without glasses.

(b) *DESIRABLE QUALIFICATION(s).*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not Applicable.

Educational Qualification : Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment / transfer, grades from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbents of the post working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government departments.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— (a) *Departmental Promotion Committee.*—Not Applicable.

(b) *Departmental Confirmation Committee.*— As may be constituted by the Government from time to time .

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective Type)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Driver-cum- Pump Operator in the Department of Fire Services, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension /renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC.—The Head of department/appointing authority after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite application from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment and Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Driver-cum-Pump Operator appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.8310/-P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). An amount of Rs. 249/- 3% of the minimum of pay band + grade pay of the post as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Fire Services, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority .

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting authority *i.e.* Head of the Department from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8,310/- P.M/- (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount Rs.249/- (3 % of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days' maternity leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of Medical Certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind, except above, is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authorities in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis, shall be eligible for consideration for transfer after completion of three years of service on need basis and against vacant posts or wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of

contract appointees. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or posts(s).

ANNEXURE-‘B’

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH, THROUGH----- (DESIGNATION OF THE APPOINTING AUTHORITY).

This agreement is made on this.....day of.....In the year.....Between.....Sh./Smt.....S/o /d/o Shri.....R/O.....Contract appointee (hereinafter called the “FIRST PARTY”) AND THE GOVERNOR, HIMACHAL PRADESH, THROUGH THE DIRECTOR, FIRE SERVICES, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA (here-in-after the “SECOND PARTY”).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid “FIRST PARTY” and the “FIRST PARTY” has agreed to serve as a DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the “FIRST PARTY” shall remain in the service of the “SECOND PARTY” as a Driver-cum-Pump Operator for a period of 1 (one) year commencing on day of and ending on the day of It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension /renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of the “FIRST PARTY” will be Rs8310/-per month.
3. The service of “FIRST PARTY” will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR will be entitled for one day’s casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be

entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service in case of miscarriage including abortion, on production of Medical Certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No. leave on any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that he shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the unauthorized absence from the duty were beyond his control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he shall submit the certificate of illness/fitness issued by medical officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond Twelve weeks will stand temporary unfit till the confinement is over. The Women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have here in to set their hands the day month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Signature of the FIRST PARTY)

(Name and full Address)

2. _____

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Signature of the SECOND PARTY)

1. _____

(Name and full Address)

2. _____

(Name and full Address)

**DIRECTORATE OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-2**

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th May, 2017

NO: Pub-B(2)-2/2007.—In pursuance to the instructions of the Department of Personnel issued vide letter No. PER (AP)-C-B(2)-2/2015-L, dated 04th May, 2017 and on the recommendation of the Departmental Screening Committee constituted for the purpose, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the regularization of the following District Public Relations Officers/Information Officers in the Information & Public Relations Department after completion of three years service on contract basis as on 31-03-2017 at minimum of the time scale of the post i.e. Pay Band of ₹10,300-34,800 + ₹5,400 Grade Pay. The regularization will be with prospective effect i.e. actual date of joining on regularization:—

Sr. No.	Name of official & Designation	Present place of posting	New place of Posting
1.	Shri Anil Goma, DPRO	Shimla	Shimla
2.	Shri Vinay Sharma, DPRO	Hamirpur	Hamirpur

The officers are regularized subject to following terms and conditions:—

1. The officer will be on probation for a period of two years;
2. The regularization will be strictly on the basis of seniority subject to conditions that eligibility criteria etc. prescribed in the R&P Rules for the post which has been

observed at the time of their initial recruitment on contract basis. The seniority of above DPRO/IO shall remain intact as per the initial contract irrespective of their joining. The name of aforesaid officers will be kept below i.e. immediate after last DPRO/IO presently working in the Department on regular basis in the seniority list of the DPRO/IO and will not confer any right to him for claiming seniority above the regular DPRO/IO already working in the department;

3. The candidate should be medically fit for the post against which he is being considered for regularization. Obtaining the Medical fitness certificate of the candidate (from the concerned CMO which will further be furnished to the Director of I&PR through concerned Controlling Officer) shall be ensured in accordance with the provisions contained in FR 10 and SR 4(1), 4(2) and 4(3);
4. The regularization shall be subject to verification of character and antecedents of the candidate being considered for regularization as provided in the H.P. Financial Rules;
5. For the determination of date of birth of the candidate concerned, the criteria as laid down in Rule 7.1 of the H.P. Financial Rules Vol.-I Hand Book No. 2 shall be observed;
6. The contractual appointee who is to be regularized shall be appointed at the minimum of the time scale of the post;
7. The contractual appointee who is regularized shall be liable to be posted anywhere within the State;
8. Observance of reservation in the service as per instructions of the State Government from time to time have already been done at the time of initial appointment on contract basis;
9. The regularization will be governed by Service Rules and orders etc. in force from time to time as applicable in H.P. Government & Central Rules such as CCA Rules, 1961 and Conduct Rules, 1964 as are applicable in Himachal Pradesh.
10. The regularization will be with prospective effect i.e. from the issue of regularization orders.

If above terms and conditions are acceptable to him, he should report to the concerned controlling officer within a period of two weeks from issuance of this notification, failing which his appointment order shall stand cancelled and no further extension shall be granted.

Above officers are directed to continue to work at same station. However, they are required to join duty on regularization and send their joining reports to this department through proper channel.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (I&PR).

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH**

FORM -6
(See rule - 9)

NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP

Shimla, the 23rd June, 2017

No.HIM/TP/PJT/DP-Shimla/2011/Vol-XIII/2346-65.—Whereas, objections and suggestions were invited vide Notice No. HIM/TP/PJT/DP-Shimla/2011/Vol-XIII/13708-26 dated 22.8.2016 with respect to the Existing Land Use Map for the areas included in the Shimla Planning Area vide Notification No. TCP-F(5)-1/2006 dated 12.01.2007 under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and

Whereas, objections and suggestions were received and the modifications have been made in the said Existing Land Use Map, wherever required;

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of section 15 of the Act *ibid*, Notice is given that the Existing Land Use Map for the areas included in the Shimla Planning Area vide Notification No. TCP-F(5)-1/2006 dated 12.01.2007 is hereby adopted with modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director,
Town and Country Planning Department,
Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A,
Vikas Nagar, Kasumpti, Shimla,
Himachal Pradesh
2. The Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office, Shimla,
District Shimla, Himachal Pradesh.

The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.

Place: Shimla

Date: 23.6.2017.

Sd/-
SANDEEP KUMAR,
Director,
Town and Country Planning.

**In the Court of Shri Vinay Dhiman, HPAS, Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmour,
District Chamba (H. P.)**

Smt. Surekha Devi wife of Shri Sudershan Kumar, resident of Village Satnala, PO Ullansa,
Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. *. . Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Surekha Devi wife of Shri Sudershan Kumar, resident of Village Satnala, PO Ullansa, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding registration/entry of delayed date of birth of her daughter Alka *i.e.* 14-09-2013 in the record of Gram Panchayat Ullansa, Development Block Bharmour, District Chamba, H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if, they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Alka for entry in the record of Gram Panchayat Ullansa *i.e.* 14-09-2013, they may file their claim/objections on or before 05-07-2017 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today on dated 30th May, 2017 under my signature and seal of the Court.

Seal.

VINAY DHIMAN (HPAS),
Sub-Divisional Officer (Civil),
Bharmour, District Chamba (H.P.).

In the Court of Shri Vinay Dhiman, HPAS, Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmour,
District Chamba (H. P.)

Smt. Surekha Devi wife of Shri Sudershan Kumar, resident of Village Satnala, PO Ullansa, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Surekha Devi wife of Shri Sudershan Kumar, resident of Village Satnala, PO Ullansa, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding registration/entry of delayed date of birth of her daughter Nitika *i.e.* 02-02-2012 in the record of Gram Panchayat Ullansa, Development Block Bharmour, District Chamba, H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if, they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Nitika for entry in the record of Gram Panchayat Ullansa *i.e.* 02-02-2012, they may file their claim/objections on or before 05-07-2017 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today on dated 30th May, 2017 under my signature and seal of the Court.

Seal.

VINAY DHIMAN (HPAS),
Sub-Divisional Officer (Civil),
Bharmour, District Chamba (H.P.).

ब अदालत श्री नरेश कुमार सतउं, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 14-07-2017

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन दास, निवासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सेरस, मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल।

प्रार्थी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन दास, निवासी महाल कोतवाल लाहड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पीठासन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड पहचान पत्र में किशन दास दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी किशनदास ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सेरस, मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल में उसका नाम किशन दास के बजाए बिशन दास गलत दर्ज हो गया है। अतः अब प्रार्थी अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सेरस मौजा व उप-तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके बिशन दास के बजाए बिशन दास उपनाम किशन दास पुत्र शुभकरण दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस मुस्त्री मुनादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सेरस, मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल में बिशन दास के बजाए बिशन दास उपनाम किशनदास पुत्र शुभकरण दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 14-07-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 07-06-2017 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

तारीख पेशी : 30-06-2017

कमला देवी पत्नी पुन्नू राम, निवासी गोरड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. आम जनता
2. सचिव, ग्राम पंचायत भनाला

विषय.—बाबत इन्द्राज मृत्यु तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया ने दावा किया है कि उसके पति पुन्नू राम पुत्र चतर सिंह का देहान्त दिनांक 22-02-1992 को महाल बसनूर में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत भनाला, तहसील शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति की उपरोक्त मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-06-2017 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य न होगा और नियमानुसार उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

**In the Court of Deekshant Thakur, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Shahpur,
Tehsil Shahpur, District Kangra, H.P.**

1. Sandal Singh s/o Baldev Singh, r/o Village Ranehar, P.O. Rehlu, Tehsil Shahpur, District Kangra.
2. Aparna Thakur d/o Kishore Kumar, r/o Village Andheri, P.O. Summerhill, Tehsil & District Shimla, H.P.

Versus

1. The General Public
2. Secretary, G.P. Rehlu.

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 20-04-2008 according to Hindu rites & rituals but it has not been

found entered in the record of the Registrar of Marriages *i.e.* Secretary, G.P. Rehlu and whereas, they have also stated that they were not aware the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriage and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriages is registered by the concerned authority. Also the record of concerned Gram Panchayat Rehlu has been burnt as per Copy of F.I.R. submitted by the applicants.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 30-06-2017 in this court either personally or through their authorized agent. In the event of thier failure to do so orders shall be passed *ex-parte* against the respndents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on 08-06-2017.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Shahpur.

कार्यालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 4/तहसील/2016

अनुवान पेशी : 17-8-2017

विजय कुमार बगैरा बनाम शमशेर सिंह बगैरा

निम्न प्रत्यार्थी नम्बरान को बजरिया इश्तहार :-

1. शमशेर सिंह पुत्र चन्दा सिंह, 2. दलवीर सिंह विध्वारी बलवन्त सिंह, 3. कुमारी प्रीती पुत्री सतपाल, 4. तीर्थ राम पुत्र मथूरा दास, 5. तिलक राज पुत्र श्री ज्ञान चन्द, 6. राजिन्दर कुमार पुत्र श्री विश्वानाथ, 7. सुरेश कुमार पुत्र श्री साई दास, 8. शाम सिंह पुत्र धनी राम, 9. अल्का रानी पत्नी स्व0 श्री रविन्दर कुमार निवासीगण महाल व मौजा कन्दरौड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.—इश्तहार तकसीम

उपरोक्त मुकद्दमा वाला में उक्त प्रतिवादीगण को इश्तहार के माध्यम से इत्तलाह करवाएं कि मुकद्दमा में निर्धारित तिथि 17-08-2017 को इच्छुक हिस्सेदार केस की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आए अन्यथा नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा कर दिया जाएगा। इतहार रिपोर्ट उपरोक्त निर्धारित तारीख से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

**ब अदालत जनाब नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0**

मिसल नं0 : 451

तारीख पेशी : 27-06-2017

श्री गुरचरन पुत्र श्री दीना, निवासी घगवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री गुरचरन पुत्र श्री दीना, निवासी घगवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके पुत्र कमल भट्टी की जन्म तिथि 19-05-2007 ग्राम पंचायत सुरडवां के अभिलेख में दर्ज न है जोकि दर्ज की जाए।

अतः इस इशतहार राजपत्र के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-06-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Puni Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Puni Devi d/o Manohar Lal, resident of Village Ropa, P.O. Khanag, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of her son Natik born on 18-11-2013 has not been entered in the record of Gram Panchayat Khanag.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering the birth event of the son of the applicant born on

18-11-2013 in the Panchayat record of Gram Panchayat Khanag, he/she/they may file his/her/their objection on or before 30-06-2017 before this court. In case of non-filing of any objection the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 25th day of May, 2017.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Naresh Kumar

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Naresh Kumar s/o Shri Mahi Ram, resident of Village Chhalali, P.O. Jaon, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of his daughter born on 4-4-2013 has not been entered in the record of Gram Panchayat Lajheri.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering the birth event of the daughter of the applicant born on 4-4-2013 in the Panchayat record of Gram Panchayat Lajheri, he/she/they may file his/her/their objection on or before 30-06-2017 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 25th day of May, 2017.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Tara Chand

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Tara Chand s/o Shri Geeta Ram, resident of Village Dhoghi, P.O. Chowai, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the death event of his grandfather expired on 25-04-2012 has not been entered in the record of Gram Panchayat Chowai.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering the death event of the grandfather of the applicant expired on 25-04-2012 in the Panchayat record of Gram Panchayat Chowai, he/she/they may file his/her/their objection on or before 30-06-2017 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 25th day of May, 2017.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Kirna Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Kirna Devi w/o Shri Rajender Kumar, resident of Village Boidhar, P.O. Chowai, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an application in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of her son born on 12-07-2014 has not been entered in the record of Gram Panchayat Shilli.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding entering the birth event of the son of the applicant born on 12-07-2014 in the Panchayat record of Gram Panchayat Shilli, he/she/they may file his/her/their objection on or before 30-06-2017 before this court. In case of non-filing of any objection, the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 25th day of May, 2017.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Anni, District Kullu, H.P.*

**In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Akhilesh Thakur s/o Shri Shiv Raj Thakur, r/o Thakur Niwas Tara Devi, Tehsil and District Shimla, H.P. . . Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Akhilesh Thakur s/o Shri Shiv Raj Thakur, r/o Thakur Niwas Tara Devi, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for registration the date of birth of his son namely Atharv Thakur (DOB 25-2-2015) in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 14-7-2017 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 13th day of June, 2017.

Seal.

HEMIS NEGI,
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

ब अदालत श्री राम कृष्ण नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकदमा नं0 : 18

तारीख दायर : 22-05-2017

श्री रती राम पुत्र श्री जाली राम, गांव दरशाल, डा0 तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 68/157 व खाता/खतौनी नं0 75/173 वाका चक दरशाल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री रती राम पुत्र श्री जाली राम, गांव दरशाल, डा0 तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक पहचान पत्र, ग्राम पंचायत व शिक्षा विभाग के रती राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु वाका चक दरशाल के खाता/खतौनी 68/157 व खाता/खतौनी नं0 75/173 वाका चक दरशाल के खाना मालिक में वादी का नाम रतन दास दर्शाया गया है, जो कि सही नहीं है। वादी उपरोक्त कागजात माल में अपना नाम रती राम के स्थान पर रतन दास उर्फ रती राम दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 17-07-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 15-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

राम कृष्ण नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री जगपाल सिंह, नायब-तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 1/13 ऑफ 2017

तारीख मरजुआ : 01-06-2017

तारीख पेशी :

श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी ग्राम किलब स्तिबर, डाकघर मानगढ़, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी ग्राम किलब स्तिबर, डाकघर मानगढ़, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत दुरुस्ती इन्द्राज बारे प्रार्थना पत्र दायर किया है कि प्रार्थी का सही नाम हेमन्त कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा किलब स्तिबर व मानगढ़ में हेमन्त दत्त दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा किलब स्तिबर व मानगढ़ में दुरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश दिए जावे।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी हेमन्त कुमार का नाम राजस्व अभिलेख मौजा किलब स्तिबर व मानगढ़ में हेमन्त दत्त के स्थान पर हेमन्त कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30-06-2017 को प्रातः 10 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है गैर हाजिरी की सूरत में यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 01-06-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।